मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन भोपाल 462004

क्रं. 157/2712/19/2025/... भोपाल दिनांक 16/01/2025

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग।

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग।

3. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय :— लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़को को शासकीय विभाग, अथवा निजी संस्थानों को रोड कटिंग/मार्ग के समानान्तर आर.ओ.डब्ल्यू. के अंतिम छोर पर खुदाई हेतु अनुमति दिये जाने बाबत दिशा—निर्देश।

सन्दर्भ :— 1. मध्य प्रदेश, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 5649/16/19/यो दिनांक 05.10.2016

2. मध्य प्रदेश, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 1129/17/19/यो दिनांक 22.02.2017

3. मध्य प्रदेश, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 394/1461/2020/19/यो दिनांक 27.01.2021.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़को को शासकीय विभाग अथवा निजी व्यक्ति / संस्था को रोड कटिंग हेतु अनुमति दिये जाने के संबंध में लेख है कि लोक निर्माण विभाग के मार्गो में केबल (दूरसंचार लाइन), पाईपलाईन, सीवर लाईन एवं टेलीफोन लाईन आदि डालने हेतु रोड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऐसे स्थानों पर 01 मीटर चौड़ाई एवं 1.2 मीटर गहराई तक या 1.2 मीटर से अधिक गहराई में खुदाई की जाती है तो सम्पूर्ण गहराई में सी.आर.एम. परत दर परत निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर कॉम्पैक्शन किया जाना होगा। इस संबंध में रोड कटिंग/मार्ग के समानान्तर आर.ओ.डब्ल्यू. के अंतिम छोर पर खुदाई हेतु संबंधित मण्डल के अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी।

c/desktop/deepak

1. रोड़ कटिंग/मार्ग के समानान्तर आर.ओ.डब्ल्यू. के अंतिम छोर पर खुदाई हेतु की अनुमति हेतु संबंधित मण्डल के अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग को डिटेल ड्राइंग एवं साईट प्लान के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. रोड़ कटिंग/मार्ग के समानान्तर आर.ओ.डब्ल्यू. के अंतिम छोर पर खुदाई हेतु की अनुमति हेतु संबंधित कार्यपालन यंत्री प्राक्कलन अनुसार प्राक्कलित राशि का @12.50% सुपरवीजन चार्जेज (Non Refundable) विनिर्दिष्ट खाते में संबंधित कार्यपालन यंत्री के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में एवं प्राक्कलन की राशि के बराबर एफ.डी.आर. परफारमेंस गारण्टी के रूप में जमा करना होगी। बी.टी. एवं सी.सी. रोड़ की कटिंग से होने वाली क्षति के सुधार कार्य हेतु खर्च की गणना के लिए रनिंग मीटर (लम्बाई) एवं कटिंग की गहराई के आधार पर दरों निर्धारित की गई हैं जो नीचें दिये गये तालिका अनुसार हैं :–

A. Revised Fees for road crossings for laying Pipeline for Flexible Pavement

S.No	Casing of Pipe	Rate per Meter width of Carriage way (For Flexible Pavement) (Rs.)				
		upto Depth 1.2 m	Depth 1.2 m to 1.5 m	Depth 1.5 m to 2.0 m	Depth 2.0 m to 3.0 m	Depth Beyond 3.0 m
1	Upto 600 mm Dia	32,000	35,200	38,400	44,800	48,000
2	More than 600 mm and Upto 1200 mm Dia	55,000	60,500	66,000	77,000	82,500
3	More than 1200 mm and Upto 2500 mm Dia	1,05,000	1,15,500	1,26,000	1,47,000	1,57,500
4	More than 2500 mm Dia	1,62,000	1,78,200	1,94,400	2,26,800	2,43,000

B. Revised Fees for road crossings for laying Pipeline for Rigid Pavement

S.No	Casing of Pipe	Rate per Meter width of Carriage way (For Rigid Pavement) (Rs.)				
		upto Depth 1.2 m	Depth 1.2 m to 1.5 m	Depth 1.5 m to 2.0 m	Depth 2.0 m to 3.0 m	Depth Beyond 3.0 m
1	Upto 600 mm Dia	40,000	44,000	48,000	56,000	60,000
2	More than 600 mm and Upto 1200 mm Dia	69,000	75,900	82,800	96,600	1,03,500
3	More than 1200 mm and Upto 2500 mm Dia	1,30,000	1,43,000	1,56,000	1,82,000	1,95,000
4	More than 2500 mm Dia	2,00,000	2,20,000	2,40,000	2,80,000	3,00,000

c/desktop/deepak

C. Revised fees rates for Pipeline Laying along the road (except formation width)						
S.No	Casing of Pipe	Rate per Meter (Rs.)				
		upto Depth 1.2 m	Depth 1.2 m to 1.5 m	Depth 1.5 m to 2.0 m	Depth 2.0 m to 3.0 m	Depth Beyond 3.0 m
1	Upto 500 mm Dia	600	660	720	840	900
2	More than 500 mm and Upto 1000 mm Dia	900	990	1,080	1,260	1,350
3	More than 1000 mm and Upto 1500 mm Dia	1,200	1,320	1,440	1,680	1,800
4	More than 1500 mm Dia	1,500	1,650	1,800	2,100	2,250

3. कार्य को संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के उपरान्त कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर जमा की गई राशि का 75 प्रतिशत एवं एक वर्ष पश्चात 25 प्रतिशत राशि वापिसी की अनुमति अधीक्षण यंत्री द्वारा दी जावेगी।
4. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सुधार नहीं किया जाता है तो उसकी परफारमेंस गारण्टी (एफ.डी.आर.) को राजसात किया जाकर उक्त राशि से संबंधित कार्यपालन यंत्री निर्धारित मापदण्डानुसार कार्य संपादित करायेंगे।
5. यदि किसी एजेंसी के द्वारा बिना अनुमति के रोड कटिंग की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड़ कटिंग एजेंसी से क्षति एवं सुधार हेतु आवश्यक राशि से दो गुना की राशि वसुली करेगा एवं शासकीय संपत्ती को नुकसान की धारा–427 आई.पी.सी. के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. आवेदक (Excavator) को DoT (Govt of India) का मोबाईल एप "Call before you dig" (cbud.gov.in) पर पंजीयन कराकर जिस स्थान पर कार्य किया जाना है उस स्थान की खुदाई के पूर्व Cbud App के माध्यम से सूचना दिया जाना आवश्यक होगा, ताकि asset owner की कोई सम्पत्ति हो तो खुदाई के दौरान क्षति होने से बचाया जा सके।

सहपत्रः– शुन्य।

(नीरज मंडलोई)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृष्ठ क्रमांक 158 /2712/19/2025/

भोपाल, दिनांक 16-2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
2. माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग के निज सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ऊर्जा विभाग
4. समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

c/desktop/deepak